प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला– जयपुर, थाना–प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो जयपुर, वर्ष–2022 प्र0इ0रि0 सं. 56/2022 दिनांक 22/02/2022

2. (I) अधिनियम... धारा 7 पी0सी0 (संशोधन)एक्ट 2018
   (II) *अधिनियम .... धारायें
   (III) * अधिनियम ..... धारायें .....
   (IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 479 समय 6:35 Pm

(ब) अपराध घटने का दिन सोमवार दिनांक 21.02.2022 समय 2.17 पी.एम

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक .....

4. सूचना की किस्म :– लिखित /मौखिक– लिखित

5. घटनास्थल :–ल्हावद कुंड गंगापुर रोड, नादौती जिली करौली।
   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरी:– बजानिब पूर्व करीब 167 किमी
   (ब) बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना .....जिला .....

6. (1)परिवादी /सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम– श्री बनैसिह मीना
   (ब) पिता/पति का नाम– श्री माधोलाल
   (स) जन्म तिथी– उम्र–
   (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि
   जारी होने की जगह .....
   (र) व्यवसाय –
   (ल) पता– निवासी निवासी कूंजेला तहसील नादोती थाना–नादौती जिला–करौली

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –

1. श्री निहाल सिंह पुत्र श्री कन्हैयाराम जाति गुर्जर उम्र 59 वर्ष निवासी गांव नौरंगाबाद तहसील श्री महावीरजी पुलिस थाना श्री महावीर जी जिला करौली, हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना नादौती जिला करौली

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य– 10000/– रूपये

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):–

दिनांक 17.02.2022 को समय करीब 01:00 पी.एम. पर श्री राजपाल गोदारा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर नगर द्वितीय जयपुर ने मुझ पुलिस निरीक्षक भंवर सिंह को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनके कार्यालय में बैठे व्यक्ति से परिचय कराते हुये बताया कि यह श्री बन्ने सिंह है, जिन्होने यह हस्तलिखित प्रार्थना पत्र दिया है और प्रार्थना–पत्र मुझे सौंपते

हुये नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय प्रार्थना पत्र व परिवादी श्री बन्ने सिंह के मेरे कक्ष में आया तथा श्री बन्ने सिंह से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री बन्ने सिंह पुत्र श्री माधोलाल उम्र 34 वर्ष जाति मीना निवासी ग्राम पोस्ट कुंजेला तहसील नादौती, पुलिस थाना नादौती जिला करौली ,मोबाईल नंबर 8890536825 होना बताया। इसके पश्चात् मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री बन्ने सिह द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर दितिय, विषय रिश्वत लेते हुए पकडवाने बावत, महोदय, निवेदन है कि अगस्त 2021 को मै मुनीराम के साथ मेरी मोटर साईकिल पर अपने गाव कूंजेला से दौसा जा रहा था मुनीराम मुडिया खेडा उतर गया था मुनीराम चोरी के मामले मे थाना मानपुर मे पकड़ा गया था उसके पश्चात मुनीराम को चोरी के मामले मे थाना नादौती जि0 करौली मे ले आये उस के काफी समय बाद निहाल सिंह थानेदार थाना नादौती का दिनाक 12, 14, 15.02.22 को मेरे मोबाइल न0 8890536825 पर उसके मोवाइल न0 9799637495, 9587436542 से फोन आया और कहा कि मुनीराम को चोरी के मुकदमे मे मैने वन्द किया था जिसमे तू भी शामिल था यदि तेरे को मुकदमे से निकलना है तो अब मुझे 50000 रू देने पडगे यदि तू रू0 नही देगा तो तुझे अन्य चोरी के मुकदमे मे फसाकर जेल भेज दूगा मे थोनदार निहालसिंह को रिश्वत नही देना चाहता हूं मे उसको रगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं मेरा निहालसिंह कोई रू0 पैसे का लेनदेन बाकी नही है रिपोट कर्ता हू कार्यवाही की जाय। भवदीय एसडी बनैसिह मीना S/O श्री माधोलाल जाति मीना निवासी कूंजेला तहसील नादोती थाना–नादौती जिला–करौली फोन न0 8890536825 दिनाक–17–2–2022 परिवादी ने मजीद दरियाफ्त पर बताया कि उक्त अधिकारी मेरे से चोरी के मुकदमे में शामिल होना बताकर रिश्वत मांग कर रहा है। श्री निहाल सिंह थानेदार ने दिनांक 12,14 एवं 15.02.2022 को अपने मोबाईल नम्बर 9799637495, 9587436542 से मेरे मोबाईल नम्बर 8890536825 पर रिश्वत मांगने हेतु फोन किया था। इसके अतिरिक्त श्री निहाल सिंह दिनांक 13.02.2022 को मेरे गांव कुंजेला मेरे घर पर आकर मुझे कहा कि तेरे को चोरी के मुकदमें से बचना है तो 50000/–रूपये मुझे देने पडेंगे। जिस पर मैं उक्त अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाने का मन बनाते हुये आज आपके कार्यालय मैं आया हूं। उपरोक्त समस्त तथ्यों से मामला प्रथम दृष्टया लोक सेवक द्वार रिश्वत मांग का पाया जाने पर रिश्वत लेन देन से पूर्व रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने पर दिनांक 17.02.2022 को समय करीब 1.30 पी.एम. पर कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर निकालकर उसका खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री बन्ने सिंह को चलाने व बंद करने की विधि समझाई जाकर श्री दीपेन्द्र सिंह कानि. 01 को कार्यालय में तलब कर परिवादी से परिचय करवाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर श्री दीपेन्द्र सिंह कानि. 01 को सुपुर्द किया गया। परिवादी को मुनासिब हिदायत की गई कि आरोपी के पास जाकर उससे रिश्वत राशि के सम्बन्ध में बातचीत करें और सम्बन्धित वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें। श्री दीपेन्द्र सिंह कानि. 01 एवं श्री सफी मोहम्मद कानि. 173 को मुनासिब हिदायत देकर परिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना किया गया। इसके पश्चात् समय करीब 3.40 पी.एम. पर श्री राजपाल गोदारा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर नगर द्वितीय ने मन पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय में बुलाकर कहा कि श्री दीपेन्द्र सिंह कानि. ने मुझे बताया कि मेरी परिवादी से बात हुई तो परिवादी ने कहा कि आज नादौती पहुचने में शाम हो जायेगी, इसलिए संदिग्ध आरोपी मिलने की संभावना नही है। इसलिए रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता आज नही हो पायेगी कल ही हो पायेगी। अतः आप कल दिनांक 18.02.2022 को सुबह 9–10 बजे के करीब मुझे नादौती से गंगापुर रोड पर ल्हावद कुंड जगह पर मिल जाना। इस पर मैने श्री दीपेन्द्र सिंह कानि. को निर्देशित किया कि आप परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की मुनासिब हिदायत देकर रवाना करे एवं आप व सफी मोहम्मद परिवादी द्वारा बताये गये समय व स्थान पर गोपनीयता बनाये रखते हुये पंहुचे व

मांग सत्यापन की कार्यवाही करावे। इसके पश्चात् वॉयस रिकॉर्डर श्री सफी मोहम्मद कानि. को सुपुर्द कर आपको बताये गये अन्य गोपनीय कार्य हेतु रवाना होवे। इसके पश्चात 18.02.2022 समय करीब 9.44 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री दीपेन्द्र सिंह कानि0 से जरिये मोबाईल वार्ता की तो उसने बताया कि परिवादी के समयानुसार मैं व सफी मोहम्मद अभी–अभी ल्हावद पहुंच गये है तथा श्री दीपेन्द्र सिंह कानि. ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं मांग सत्यापन कार्यवाही के बाद श्री सफी मोहम्मद को वॉयस रिकॉर्डर देकर आपके पास रवाना कर मैं श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अन्य गोपनीय कार्य हेतु रवाना हो जाउंगा। इसके पश्चात् समय करीब 2.10 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री दीपेन्द्र सिंह कानि0 से जरिये मोबाईल वार्ता की तो उसने बताया कि मैने निर्देशानुसार वॉयस रिकॉर्डर बाद रिश्वत मांग सत्यापन सफी मोहम्मद को देकर आपके पास रवाना कर दिया है, जो 4–5 बजे तक आपके पास पहुंच जायेगा। इसके पश्चात् समय करीब 4.40 पी.एम. पर श्री सफी मोहम्मद कानि. 173 कार्यालय में उपस्थित आया एवं मन पुलिस निरीक्षक को वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द करते हुये बताया कि आज दिनांक 18.02.2022 को मैं एवं श्री दीपेन्द्र सिंह कानि. 01 समय करीब 6.30 ए.एम. पर जयपुर से रवाना होकर समय करीब 9.45 ए.एम. पर बस स्टेण्ड, ल्हावद कुंड जिला करौली पर पहुंचे। जहां परिवादी का श्री दीपेन्द्र सिंह कानि. के पास फोन आया जिसने हमें ल्हावद कुंड बस स्टेण्ड से 100 मीटर अन्दर बुलाया। इसके पश्चात् हम ल्हावद बस स्टेण्ड से 100 मीटर आगे पहुंचे जहां पर हमें परिवादी श्री बनै सिंह उपस्थित मिला। इसके पश्चात् श्री दीपेन्द्र सिंह कानि. ने परिवादी को वॉयस रिकॉर्डर चालू परिवादी की पहनी हुई बनियान से धागे से बांधकर बनियान के नीचे छुपाकर मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध के पास रवाना किया। परिवादी अपनी मोटरसाईकिल से मांग सत्यापन हेतु रवाना हुआ तथा मैं व श्री दीपेन्द्र सिंह कानि. अपनी पहचान छुपाते हुये परिवादी के इंतजार में मुकीम हुये। कुछ समय पश्चात् परिवादी अपनी मोटर साईकिल से वापस हमारे पास आया और उसने बताया कि मांग सत्यापन की कार्यवाही हो गई है। इस पर श्री दीपेन्द्र सिंह कानि. ने वॉयस रिकॉर्डर परिवादी से प्राप्त कर बन्द कर अपने पास रख लिया। परिवादी को हमने अपने साथ जयपुर चलने के लिए कहा इस पर उनसे कहां की आज मेरे गांव में शादी है इसलिए मैं साथ नही चल सकता बाद में आ जाउंगा। इस पर परिवादी को गोपनीयता की हिदायत कर रवाना कर मैं व श्री दीपेन्द्र सिंह कानि. वहां से कार्यालय के लिए रवाना हो गये। इसके पश्चात् सिकन्दरा पहुंचने पर श्री दीपेन्द्र सिंह कानि. ने मुझे वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर कहा कि मुझे अन्य गोपनीय कार्य हेतु जाना है आप ये वॉयस रिकॉर्डर सुरक्षित ले जाकर सीआई साहब को दे देना। इसके पश्चात् दीपेन्द्र सिंह कानि. अन्य गोपनीय कार्य हेतु रवाना हो गया तथा मैं वहां से रवाना होकर कार्यालय आ गया तथा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सुरक्षित लाकर आपको सुपुर्द कर दिया है। इसके पश्चात् मन पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो उसमें संदिग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग की जाना पायी गई। इसके पश्चात् विभागीय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। इसके पश्चात् श्री पूरण सिंह कानि. 243 कार्यालय हाजा को दो स्वतंत्र गवाह पाबंद कर लाने हेतु जरिये पत्रांक 373 दिनांक 18.02.2022 जारी कर कार्यालय अपर महानिदेशक एवं विभागाध्यक्ष जी.एस.आई. जयपुर रवाना किया गया एवं कार्यालय स्टॉफ को दिनांक 21.02.2022 को प्रातः 7.30 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया। इसके पश्चात् श्री पूरण सिंह कानि. 243 मय दो स्वतंत्र गवाह मय एन.के. शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्र 15–16 झालाना डुंगरी जयपुर के पत्रांक 2373 दिनांक 18.02.2022 के उपस्थित कार्यालय आये। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त गवाहान से नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम पता श्री गोरधनलाल मीणा पुत्र श्री दौलतराम मीणा जाति मीणा उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम नयागांव प्रतापपुरा तहसील राजगढ पुलिस थाना टहला जिला अलवर हाल II/66 जीएसआई कॉलोनी मालवीयनगर जयपुर हाल प्रवर श्रेणी लिपिक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, पश्चिमी

क्षेत्र 15–16 झालाना डूंगरी जयपुर मो.न. 9460334218 तथा श्री राजेश कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद जाति गुर्जर उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम व पोस्ट धानौता तहसील नारनौल पुलिस थाना नारनौल जिला हरियाणा हाल III/85 जीएसआई कॉलोनी मालवीयनगर जयपुर हाल प्रवर श्रेणी लिपिक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, पश्चिमी क्षेत्र 15–16 झालाना डूंगरी जयपुर मो.न. 9460868216 होना बताया। इसके पश्चात् मन पुलिस निरीक्षक ने उक्त दोनों गवाह को दिनांक 21.02.2022 को प्रातः 7.30 बजे कार्यालय हाजा में उपस्थित होने हेतु पाबंद कर रवाना किया। इसके पश्चात् दिनांक 21.02.2022 को समय 7.30 ए.एम. पर परिवादी श्री बनै सिंह उपस्थित कार्यालय आया एवं मन पुलिस निरीक्षक को अवगत कराया कि दिनांक 17.02.2022 को आपके पास से रवाना होने के बाद मैने श्री दीपेन्द्र सिंह कानि. एवं श्री सफी मोहम्मद कानि. को बताया था कि आज हमें पहुंचे पहुंचे शाम हो जायेगी जिससे मांग सत्यापन की कार्यवाही नही हो पायेगी इस पर श्री दीपेन्द्र सिंह कानि. ने मुझे उच्चाधिकारियों से बात कर मुझे कहां कि आप दिनांक 18.02.2022 को कहां मिलोगें इस पर मैने दीपेन्द्र सिंह कानि. को बताया कि मैं आपको दिनांक 18.02.2022 को सुबह 9–10 बजे के करीब ल्हावद कुंड बस स्टेण्ड के आप पास मिल जाउंगा। इस पर दीपेन्द्र सिंह कानि. ने मुझे हिदायत कर रवाना कर दिया था। इसके पश्चात् दिनांक 18.02.2022 को समय करीब 10.00 बजे मैने श्री दीपेन्द्र सिंह कानि. को फोन किया कि आप ल्हावद कुंड बस स्टेण्ड से 100 मीटर अन्दर आ जहां। इसके पश्चात् श्री दीपेन्द्र सिंह कानि. एवं श्री सफी मोहम्मद कानि. मेरे पास आये। तत्पश्चात् मैने श्री निहाल सिंह थानेदार से मेरे फोन से उसके फोन पर मिलने के स्थान के संबंध में पूछा तो उसने कहां कि मैं ल्हावद कुंड रोड पर मिलने के लिए कहां। इसके पश्चात् श्री दीपेन्द्र सिंह कानि. ने मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु मुझे डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर मेरी पहनी हई बनियान से धागे से बांधकर मेरे बनियान के नीचे छिपाकर रवाना कर दिया। इस पर मैं मेरी मोटर साईकिल से ल्हावद कुंड रोड पर रवाना होकर एक चाय की दुकान के आगे जाकर श्री निहाल सिंह थानेदार के इंतजार में रोड के साईड में खड़ा हो गया। जहां कुछ समय पश्चात् श्री निहाल सिंह थानेदार मेरे पास आया जिससे मेरी रिश्वत राशि के संबंध में बात हुई जिसमें उसने 35 हजार रूपये स्वयं के लिए व 15–20 हजार रूपये वकील करने के नाम पर रिश्वत की मांग की, जिसके लिए मैने श्री निहाल सिंह थानेदार को कहा कि मेरे पास आज पैसे नही यह मैं पैसों का इंतजाम कर पैसे आपको सोमवार को दूंगा। इसके बाद श्री निहाल सिंह थानेदार वहां से रवाना होकर चला गया। इसके पश्चात् में वहां से रवाना होकर श्री दीपेन्द्र सिंह कानि. व श्री सफी मोहम्मद कानि. के पास वापस आया। श्री दीपेन्द्र सिंह कानि0 ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर बंद कर अपने पास रख लिया। इसके पश्चात् श्री दीपेन्द्र सिंह कानि. के मुझे अपने साथ जयपुर चलने के लिए कहने पर मैने उनसे कहां की आज मेरे गांव में शादी है इसलिए साथ नही चल सकता बाद में आ जाउंगा। इसके पश्चात् श्री दीपेन्द्र सिंह कानि0 व श्री सफी मोहम्मद कानि0 वहां से रवाना हो गये तथा मैं अपने गांव चला गया। इसके पश्चात् समय करीब 8.10 ए.एम. पर श्री दीपेन्द्र सिंह कानि0 ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि दिनांक 17.02.2022 को आपके द्वारा श्री सफी मोहम्मद कानि. व परिवादी के साथ मांग सत्यापन हेतु रवाना करने के पश्चात् मुझे परिवादी ने बताया कि आज हमें पहुंचे पहुंचे शाम हो जायेगी जिससे मांग सत्यापन की कार्यवाही नही हो पायेगी इस पर मैने उच्चाधिकारियों से बात कर परिवादी को कहां कि आप दिनांक 18.02.2022 को कहां मिलोगें इस पर परिवादी ने मुझे को बताया कि मैं आपको दिनांक 18.02.2022 को सुबह 9–10 बजे के करीब ल्हावद कुंड बस स्टेण्ड के आप पास मिल जाउंगा। इसके पश्चात् मैं एवं श्री सफी मोहम्मद कानि. समय करीब 6.30 ए.एम. पर जयपुर से रवाना होकर समय करीब 9.45 ए.एम. पर बस स्टेण्ड, ल्हावद कुंड जिला करौली पर पहुंचे। इसके पश्चात् समय करीब 10.00 बजे परिवादी ने मुझे फोन किया कि आप ल्हावद कुंड बस स्टेण्ड से 100 मीटर अन्दर आ जाओ। इसके पश्चात् मैं एवं श्री सफी मोहम्मद कानि. परिवादी के पास गये। तत्पश्चात् परिवादी ने श्री निहाल सिंह थानेदार से फोन पर

मिलने के स्थान के संबंध में पूछा तो उसने ल्हावद कुंड रोड पर मिलने के लिए कहां। इसके पश्चात् मैने मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर उसकी पहनी हुई बनियान से धागे से बांधकर उसके बनियान के नीचे छिपाकर रवाना कर दिया। परिवादी अपनी मोटरसाईकिल से मांग सत्यापन हेतु रवाना हुआ तथा मैं व श्री सफी मोहम्मद कानि. अपनी पहचान छुपाते हुये परिवादी के इंतजार में मुकीम हुये। कुछ समय पश्चात् परिवादी अपनी मोटर साईकिल से वापस हमारे पास आया और उसने बताया कि मांग सत्यापन की कार्यवाही हो गई है। इस पर मैने वॉयस रिकॉर्डर परिवादी से प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। परिवादी को हमने अपने साथ जयपुर चलने के लिए कहा इस पर परिवादी ने कहां की आज मेरे गांव में शादी है इसलिए मैं साथ नही चल सकता बाद में आ जाउंगा। इस पर परिवादी को गोपनीयता की हिदायत कर रवाना कर मैं व श्री सफी मोहम्मद कानि. वहां से कार्यालय के लिए रवाना हो गये। इसके पश्चात् सिकन्दरा पहुंचने पर मैने श्री सफी मोहम्मद को वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर कहा कि मुझे अन्य गोपनीय कार्य हेतु जाना है आप ये वॉयस रिकॉर्डर सुरक्षित ले जाकर सीआई साहब को दे देना। इसके पश्चात् मैं अन्य गोपनीय कार्य हेतु रवाना हो गया तथा सफी मोहम्मद वहां से कार्यालय के लिए रवाना गया। इसके पश्चात् समय करीब 8.20 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान श्री गोरधनलाल मीणा हाल प्रवर श्रेणी लिपिक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, पश्चिमी क्षेत्र 15–16 झालाना डूंगरी जयपुर तथा श्री राजेश कुमार हाल प्रवर श्रेणी लिपिक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, पश्चिमी क्षेत्र 15–16 झालाना डूंगरी जयपुर उपस्थित कार्यालय आये, जिनसे मन पुलिस निरीक्षक द्वारा की जा रही ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की समहति चाही गई जिस पर दोनों ने अपनी–अपनी सहमति प्रदान की। इसके पश्चात् परिवादी श्री बनै सिंह एवं स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वतंत्र गवाहन को पढाया जाकर उस पर स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात् समय करीब 8.30 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान तथा परिवादी श्री बनै सिंह की उपस्थिति में दिनांक 18.02.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में परिवादी के माध्यम से रिकॉर्ड की गई थी, उक्त डिजिटल वॉइस रिकॉर्ड को कार्यालय की आलमारी से निकालकर कार्यालय के लेपटॉप की सहायता से श्री निहाल सिंह की आवाज की पहचान करने के पश्चात फर्द ट्रासंक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता पृथक से तैयार की गई तथा रिकॉर्ड वार्ता की सीडी बनवाने हेतु कार्यालय से तीन सीडी मंगवायी जाकर सीडीयां खाली होना सुनिश्चित कर कार्यालय लेपटॉप की सहायता से तीन सीडी तैयार की जाकर तीनों सीडीयों में वाईस क्लिप होना सुनिश्चित कर सीडियों पर क्रमशः मार्क A–1, A–2 व A–3 अंकित किया जाकर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर दो सीडी मार्क A–1 व A–2 को अलग–अलग सीडी कवर में रखकर अलग–अलग कपड़े की थैलियों में रखकर सील मोहर किया जाकर मार्क क्रमशः A–1 व A–2 अंकित कर थैलियों पर भी स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। तीसरी सीडी पर मार्क A–3 अंकित कर अनुसंधान अधिकारी के प्रयोजनार्थ खुली रखी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द को शामिल पत्रावली किया गया। इसके पश्चात् समय करीब 9.20 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री बन्ने सिंह को गवाहान की उपस्थिति में संदिग्ध आरोपी श्री निहाल सिंह को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा, जिस पर परिवादी श्री बन्ने सिंह ने बताया कि मैं संदिग्ध आरोपी निहाल सिंह को रिश्वत में दी जाने वाली राशि के लिए 10000 रूपये की ही व्यवस्था कर पाया हूं इससे अधिक राशि मेरे पास उपलब्ध नही हो सकी और मैं ये 10000/–रूपये लेकर निहाल सिंह के पास जाउंगा तो वह 10000/–रूपये की रिश्वत राशि मेरे से प्राप्त कर लेगा। इस पर परिवादी श्री बनैसिंह ने अपने पास से 500–500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000/– रूपये निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर द्वितीय जयपुर को पेश किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटों के नम्बरों का विवरण फर्द में अंकित कर उक्त 20

नोटों पर मुताबिक फर्द पेशकशी व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर के अनुसार फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाकर परिवादी श्री बनैसिंह की पहनी हुई पेन्ट की सामने की बांयी साईड वाली जेब में श्री विरेन्द्र कुमार, कानि. 66 से रखवाया गया श्री विरेन्द्र कुमार, कानि. 66 से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी तथा जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था। उस अखबार को जलवाया गया। उसके पश्चात फर्द के अनुरूप सोडियम कार्बोनेट एवम् फिनोफ्थलीन पॉउडर की रासायनिक किया का दृष्टान्त दिलवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री बनै सिंह को हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन् पुलिस निरीक्षक के मो0 नं0 9772201651 पर मिस कॉल कर ट्रेप पार्टी को गोपनीय ईशारा करें, इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के साथ या आस–पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन–देन को देखने का यथा–सम्भव प्रयास करें। तत्पश्चात श्री विरेन्द्र कुमार, कानि. 66 के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रैपबाक्स में रखी खाली शिशियां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। परिवादी श्री बन्ने सिंह को छोड़कर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा सभी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। परिवादी श्री बन्ने सिंह को रिश्वती राशि लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु कार्यालय का सरकारी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चलाने व बन्द करने की विधि समझा कर सम्भलाया गया व मुनासिब हिदायत दी गयी तथा श्री विरेन्द्र कुमार, कानि. 66 को कार्यालय मे ही छोड़ा गया। उक्त कार्यवाही की फर्द तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। इसके पश्चात् समय करीब 9.40 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री अभिषेक पारीक उप अधीक्षक पुलिस, श्रीमति प्रीती चेची पुलिस निरीक्षक, श्री अशोक कुमार कांनि0 नं. 434, श्री पूरण सिंह कानि0 243, श्री अशोक कुमार कानि. 99, श्री दीपेन्द्र सिंह कानि. 01, श्री सफी मोहम्मद कानि. 173, श्री विरेन्द्र वरिष्ठ सहायक एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप बॉक्स एवं कार्यालय का सरकारी लेपटॉप मय प्रिन्टर के जरिये दो सरकारी मय चालक के ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुये तथा श्री विरेन्द्र कुमार कानि. 66 को मुनासिब हिदायत कर कार्यालय मे ही छोड़ा गया। समय करीब 1.45 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के कस्बा नादौती गंगापुर रोड जिला करौली पहुंचा। इसके बाद समय करीब 1.53 पी.एम. परिवादी श्री बनै सिंह के मोबाईल नम्बर 8890536825 पर संदिग्ध आरोपी निहाल सिंह के मोबाईल नम्बर 9799637495 से मिस कॉल आया। इसके पश्चात् समय करीब 1.55 पी.एम. पर परिवादी श्री बनै सिंह के मोबाईल नम्बर 8890536825 से संदिग्ध आरोपी निहाल सिंह के मोबाईल नम्बर 9799637495 पर वार्ता कराई गई तो परिवादी से संदिग्ध आरोपी निहाल सिंह ने पूछा की कहां है तो परिवादी बनैसिंह ने बताया कि मैं नादौती में गंगापुर रोड पर ल्हावद कुंड मोड पर हूं तो आरोपी निहाल सिंह ने कहा ठीक है तू वहीं रूक मैं 10 मिनट में वहीं आ रहा हूं। इसके पश्चात् चूंकि संदिग्ध आरोपी निहाल सिंह ने परिवादी बनैसिंह को 10 मिनट में रिश्वत प्राप्ति हेतु ल्हावद कुंड गंगापुर रोड पर आने के लिए कहने पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी बनैसिंह को कार्यालय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर सुपुर्द किया व आवश्यक हीदायत की कि आरोपी निहाल सिंह जब आपके पास आये तो उसके द्वारा रिश्वत प्राप्त करने के उपरान्त सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत प्राप्ति का निर्धारित ईशारा करे तथा की गई वार्ता को वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करे तथा मन पुलिस निरीक्षक मय हमराही जाप्ता व गवाहान के अपनी उपस्थिति छुपाते हुये सभी को आवश्यक हिदायत कर आस पास मुकीम हुये। इसके पश्चात् समय करीब 2.11 पी.एम. पर परिवादी श्री बनैसिंह के पास मोबाईल पर फोन आया व परिवादी बनैसिंह वार्ता करता दिखाई दिया जिसके उपरान्त परिवादी बनैसिंह ल्हावद कुंड से पैदल पैदल करीब 50 मीटर गंगापुर रोड की तरफ

गया जहां पर आम रोड पर एक 50–55 साल का व्यक्ति खड़ा था जिसके पास जाकर परिवादी बनैसिंह वार्ता करता दिखा जिसे मन पुलिस निरीक्षक व स्वतंत्र गवाहान ने देखा। इसके पश्चात् परिवादी बनैसिंह ने समय 2.17 पी.एम. पर अपने सिर पर हाथ फेर कर रिश्वत लेन देन का नियत ईशारा किया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान मय एसीबी जाप्ता के ल्हावद कुंड तिराहे पर परिवादी के पास पहुंचा और परिवादी बनैसिंह से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर कब्जा लिया। परिवादी ने अपने पास खड़े एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह श्री निहाल सिंह थानेदार है जिसने अभी–अभी मुझसे मुझे चोरी के मुकदमें से फ्री करने के लिए 10000/–रूपये रिश्वत के लिए है। जिन्होने रिश्वत राशि अपने दांहिने हाथ में लेकर अपने पहने हुये पेन्ट के सामने के दांयी जेब में रख लिये है। इस पर निहाल सिंह के दांये हाथ को पोंचो से स्वतंत्र गवाह श्री गोरधनलाल व बांये हाथ को पोंचो से श्री दीपेन्द्र सिंह कानि. से पकडाकर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व स्वतंत्र गवाह एवं एसीबी जाप्ता का परिचय देकर श्री निहाल सिंह को अपना नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री निहाल सिंह पुत्र श्री कन्हैयाराम जाति गुर्जर उम्र 59 वर्ष निवासी गांव नौरंगाबाद तहसील श्री महावीरजी पुलिस थाना श्री महावीर जी जिला करौली, हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना नादौती जिला करौली होना बताया। घटनास्थल आम सडक होने व कार्यवाही हेतु उपयुक्त स्थान एवं बिजली नही होने से अग्रिम कायवाही पुलिस थाना नादौती पर करने का निर्णय लिया गया। मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के श्री निहाल सिंह के दोनों हाथ पकड़े–पकडे ही गाडी में बैठाकर पुलिस थाना नादौती के लिए रवाना होकर पुलिस थाना नादौती पहुंचकर थानाधिकारी के कक्ष में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। आरोपी श्री निहाल सिंह सहायक उप निरीक्षक को परिवादी श्री बनै सिंह से प्राप्त की गई रिश्वती राशि 10000/– रूपये के बारे में पूछा तो आरोपी श्री निहाल सिंह ने कहा कि मैने बनैसिंह से 10000/– रूपये वकील करने के लिए लिये है। जो मेरी पेन्ट की दांहिनी जेब में रखे है। इस पर परिवादी श्री बनैसिंह ने कहा कि इन्होने थाना नादौती पर दर्ज चोरी के प्रकरण जिसमें मेरे ताउ का लडका मुनीराम गिरफ्तार हो चुका है जिसकी जांच निहाल सिंह थानेदार कर रहे है। इस मुकदमे में मुझे गिरफ्तार नही करने और मेरे खिलाफ मुकदमा मे से मुझे फ्री करने के लिए 55000/– रूपये मांगे थे जिसमें से मैने आज इनको 10000/–रूपये दिये है जो इन्होने मुझसे रिश्वत के प्राप्त किये है। तत्पश्चात परिवादी श्री बनैसिंह व उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष एक साफ कांच के गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी श्री निहाल सिंह के दांहिने हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क आर–1 व आर–2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी श्री बनैसिंह तथा आरोपी श्री निहाल सिंह के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त विधि से ही दूसरे साफ कांच के गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पॉउडर डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण में आरोपी श्री निहाल सिंह के बांये हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला दृष्टिगोचर हुआ। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गदमैला होना बताया। उक्त धोवन को दो कांच की साफ शीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकर सील चस्पा किया गया तथा मार्क एल–1 व एल–2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी श्री बनैसिंह तथा आरोपी श्री निहाल सिंह के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री गोरधनलाल से

आरोपी श्री निहाल सिंह की पेन्ट की सामने की दांयी जेब की तलाशी लिवाई गई तो जेब से पांच–पांच सौ रूपये के नोटो की दो छोटी गड्डीयां मिली जिसमें एक गड्डी 500–500 रूपये की तथा दूसरी गड्डी में 500, 200,100,10 के नोटो की मिली। उक्त 500–500 नोटो की गड्डी को स्वतंत्र गवाह श्री गोरधनलाल से गिनवाया तो पांच–पांच सौ रूपये के 20 नोट कुल 10000/–रूपये होना बताया। उक्त बरामद शुदा पांच–पांच सौ रूपये के 20 नोटो के नम्बर कार्यालय मे पूर्व में बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तो दोनों गवाहान ने नोटों के नम्बरों का व फर्द मे अंकित नम्बरों के हुबहु मिलान होना बताया। उक्त बरामद शुदा पांच–पांच सौ रूपये के 20 नोट कुल 10000 रूपयों को एक सफेद कागज के साथ नत्थी किया जाकर सीलमोहर कर गवाहान व परिवादी तथा आरोपी श्री निहाल सिंह के हस्ताक्षर करवाकर नोटों को कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पश्चात् श्री निहाल सिंह के पास उक्त नोटो के साथ मिली गड्डी के नोटो को श्री गोरधनलाल गवाह गिनवाया गया तो 3630/–रूपये होना पाये गये। उपरोक्त 3630 रूपये के बारे में श्री निहाल सिंह से पूछा तो उन्होने अपने निजी खर्च के होना बताया। तत्पश्चात् बाजार से एक लोअर मंगवाया जाकर श्री निहाल सिंह के बदन पर पहनी हुई पेन्ट को ससम्मान उतरवाकर लोअर(पजामा) पहनने को दिया गया। इसके बाद ट्रेप बॉक्स से एक साफ कांच का गिलास निकलवाकर कर उसमें साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार करवाया जाकर समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। आरोपी श्री निहाल सिंह के बदन पर पहनी हुई पेन्ट के सामने की साईड की दांयी जेब को उलटवाकर उक्त तैयार शुदा घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन ने गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शिशियो में आधा–आधा डालकर सिल मोहर कर मार्क पी–1, पी–2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् पेन्ट की सामने की साईड की दांयी जेब को सुखवाकर पेन्ट की जेब पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक कपड़े की थैली में रखकर सिलकर सील मोहर कर मार्क ''पी'' अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। परिवादी से प्राप्त किये गये डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो उसमें परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत लेन–देन के समय हुई वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई, जिसकी बाद में पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जावेगी। थाना नादौती पर परिवादी के संदर्भ में दर्ज प्रकरण के संबंध में जानकारी की तो थाना नादौती पर प्रकरण संख्या 284/21 धारा 454,380 भादस में दर्ज है। जिसकी सत्यप्रति पृथक से प्राप्त की जोवगी। इस प्रकार उपरोक्तानुसार श्री निहाल सिंह सहायक उप निरीक्षक थाना नादौती द्वारा परिवादी श्री बनैसिंह से थाना नादौती पर दर्ज प्रकरण में परिवादी को गिरफ्तार नही करने हेतु रिश्वत की मांग करना एवं उसके अनुसरण में आज परिवादी श्री बनैसिंह से 10000/–रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करते हुये रंगे हाथों पकड़ा गया, जिससे श्री निहाल सिंह सहायक उप निरीक्षक थाना नादौती के विरूद्व धारा 7 पी0सी(संशोधन) एक्ट 2018 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर श्री निहाल सिंह को पृथक से जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री निहाल सिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना नादौती जिला करौली को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष नोटिस दिया जाकर अपनी आवाज का नमूना दिये जाने बाबत् सहमति चाही तो आरोपी निहाल सिंह ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में मना किया नोटिस शामिल पत्रावली किया गया, थाना नादौती पर परिवादी बनैसिंह से संबंधित प्रकरण संख्या 284/21 धारा 454, 380 भादस के प्रकरण की सत्य प्रतिलिपि जरिये तहरिर प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। इसके पश्चात् मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता, गवाहान,परिवादी, गिरफ्तारशुदा आरोपी निहाल सिंह, जप्तशुदा अलामात, फर्दात व रिकॉर्ड के थाना नादौती से घटनास्थल के लिए रवाना होकर घटनास्थल ल्हावद कुंड गंगापुर रोड पहुंच कर समय करीब 5.05 पी.एम. पर घटनास्थल का नक्शामौका तैयार

कर शामिल पत्रावली किया गया। समय करीब 5.25 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता, गवाहान, परिवादी, गिरफ्तारशुदा आरोपी निहाल सिंह जप्तशुदा आलामात, फर्दात व रिकॉर्ड के घटनास्थल से जरिये वाहन सरकारी के ए.सी.बी. मुख्यालय जयपुर रवाना होकर समय करीब 10.00 पी.एम. पर एसीबी मुख्यालय जयपुर पहुंचा एवं वापसी की रपट रोजनामचा आम में दर्ज की। समय करीब 10.15 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक ने अपने पास से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर निकाल कर उपस्थित गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में वॉयस रिकॉर्डर में दर्ज रिश्वत लेन–देन की वार्ता को लेपटॉप की सहायता से सुना जाकर वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार व रिश्वत लेन–देन की वार्ता की तीन सीडी मुताबिक फर्द तैयार कर मार्क बी–1,बी–2, बी–3 बनायी जाकर बी–1 व बी–2 को सील्डमोहर किया व बी–3 को अनुसंधान हेतु खुली रखी गई तथा स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को बाद हिदायत रूखसत किया। ट्रेप कार्यवाही के दौरान जप्त कर शील्ड किये गये धोवन के सैम्पल, बरामदशुदा रिश्वती राशि, आरोपी की पेन्ट का पैकेट व रिश्वत मांग सत्यापन तथा रिश्वत लेन–देन वार्ता की शील्डशुदा सीडीयों को मालखाना में जमा करवाया गया।

मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 18.02.2022 को परिवादी श्री बनैसिंह से आरोपी श्री निहाल सिंह सहायक उप निरीक्षक से हुई वार्ता में आरोपी निहाल सिंह कहता है कि **"पुलिस कर रही है धमाके बिना बात एक मुकदमा बढ जायेगो।"** परिवादी बनैसिंह कहता है कि **"अब यू कहरो हू साहब जैसे आपने बताया आपको किते एक देना और वकील किते एक मे हो जागो। काहे होगो।"** निहाल सिंह कहता है कि **"भैया देख"** बनैसिंह कहता है कि **"आज वाके ब्याहव है"** निहाल सिंह कहता है कि **"पैतीस तो मेरे शेष रह रहे है"** बनैसिंह कहता है कि **"पैतीस"** निहाल सिंह कहता है कि **"और दस बीस हजार वकील लेगा जो लेगा"** बनैसिंह कहता है कि **"तो आपक हिसाब से करलो मतलब"** निहाल सिंह कहता है कि**"वकील मै कर लूंगा वकील करवादेगे क्यो चिन्ता कर है"** बनैसिंह कहता है कि **"फि हो जांगो"** निहाल सिंह कहता है कि **" फि क्यों नही होगा फेर। 8–7 दिन लगें 8–7 दिन पहले नही छोडेगा"** बनैसिंह कहता है कि **"आपकू खाली दस दिया है बिनने"** निहाल सिंह कहता है कि **"हां"** बनैसिंह कहता है कि **"आपका शेष कितेक रह रहा है"** निहाल सिंह कहता है कि **"पैतींस"** बनैसिंह कहता है कि **"पैतींस और ओर वकीलों के"** निहाल सिंह कहता है कि **"वकील के 20 हजार रूपयें लग जायगें"** बनैसिंह कहता है कि **"तो पैतींस तो आपका और बिन का किते एक हो जागा एक ही बैर मे कढाउगो साहब क्योंकी बार बार तो कोई दे कोनी पैसा"** निहाल सिंह कहता है कि **"बीस हजार लगेंगे कम ते कम वकील लेगो बीस"** बन्ने सिंह कहता है कि **"तो 35 और 20 मतलब 55 दे दू आपको ओजू एक रूप्या की जरूरत को पडेगी मोको"** निहाल सिंह कहता है कि **"आमः शामः हो जा तो पूरी रात लगा अब का चल रो है पुछ तो लिजे। ठीक है जी इनः ले मत जा इना गोचो देई मुकदमो लग जा"** बनैसिंह कहता है कि **"सोमवार क दिन आपकी पेमेन्ट आ जायेगो साहब । काल तो वो महा से ओयेगो शादी मे से बाके छोरा की शादी है सोमवार कू 10–11 बजे"** निहाल सिंह कहता है कि **"उस दिन टेलिफोन करिये मै आ जागो है"** बनैसिंह कहता है कि **"हां वही मोड आ जो"** निहाल सिंह कहता है कि **"मोड मैं आ जागो।"**इत्यादि वार्तालाप पायी गई।

दौराने रिश्वत लेन देन दिनांक 21.02.2022 को परिवादी श्री बनैसिंह से आरोपी श्री निहाल सिंह सहायक उप निरीक्षक से हुई वार्ता में आरोपी निहाल सिंह कहता है कि **"ल्या कह दे समचार फटाक देसनी"** परिवादी बनैसिंह कहता है कि **"ले अब इनने तो ले जाओ औरनने मैं श्याम की या तो ला र दे दूंगो"** निहाल सिंह कहता है कि **"कितेक है"** बनैसिंह कहता है कि **"दस मैं पच्चीस व हज उं लायो चालीस हजार साब घर से मैं पण परिस्थिति इसी बिन को देणा जरूरी हो साब "** बनैसिंह कहता है कि **" मैं शाम की ला र दे दूंगो वाके घरवाला ने कही है मतलब जेकी बेरबानी गई है न बिन न्यू कही तू हमारे वहान सू ले लिज्यो पईसा मास्टर है वा को जेठ"** निहाल सिंह कहता है कि **"तू कब आवगो"** बनैसिंह कहता है कि **"शाम की आ जाउंगो नही तो सुबह इतसे आओ"** निहाल सिंह कहता

है कि "**शाम को नही सुबह आना**" बनैसिंह कहता है कि "**जब सुबह ले जाज्यो हां सुबह आ जाउंगो**" निहाल सिंह कहता है कि "**इनने तो घा दे**" बनैसिंह कहता है कि "**हां**" इत्यादि वार्तालाप होना पाई गई है।

इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही से स्पष्ट है कि श्री निहाल सिंह हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना नादौती जिला करौली द्वारा परिवादी श्री बनैसिंह से संबंधित पुलिस थाना नादौती पर दर्ज प्रकरण संख्या 284/21 धारा 454, 380 भादस में परिवादी बनैसिंह को गिरफ्तार नहीं करने व मुल्जिम नहीं बनाने की ऐवज में दिनांक 18.02.2022 को 55,000 रूपये की रिश्वत राशि की माँग की व माँग के अनुसरण में वरवक्त ट्रेप कार्यवाही दिनांक 21.02.2022 को परिवादी से 10000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त प्राप्त की गई। जो उसकी पहनी हुई पेन्ट के सामने की दांयी जेब से बरामद हुई। श्री निहाल सिंह हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना नादौती जिला करौली का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 पीसी (संशोधन) एक्ट 2018 में कारित किया जाना पाया गया है।

अतः श्री निहाल सिंह पुत्र श्री कन्हैयाराम जाति गुर्जर उम्र 59 वर्ष निवासी गांव नौरंगाबाद तहसील श्री महावीरजी पुलिस थाना श्री महावीर जी जिला करौली, हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना नादौती जिला करौली के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 पीसी (संशोधन) एक्ट 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

22.02.22

(भंवर सिंह)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर नगर द्वितीय, जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भंवर सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर द्वितीय, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री निहाल सिंह, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना नादौती, जिला करौली के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 56/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

22.2.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 515-19 दिनांक 22.2.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक जिला करौली।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर-द्वितीय जयपुर।

22.2.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।